न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1177 / 2024
अनवान : –

1. रोशनी पत्नी कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. झण्डुराम पुत्र घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीया एवं प्रतिवादी की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 121 / 108 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 11 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो कि घीसाराम पुत्र पुरखाराम के स्वर्गवास के बाद विरास्तन प्राप्त हुई भूमि है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 121 / 108 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 11 हिस्सा भूमि वादीया को प्राप्त हुई तथा वादीया ही काबिज चली आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि अविवाहित है जिसकी देखभाल व दवा पानी वादीया ही करती आ रही है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादीया मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो कि घीसाराम पुत्र पुरखाराम के स्वर्गवास के बाद विरास्तन प्राप्त हुई भूमि है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 121/108 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/11 हिस्सा भूमि वादीया को प्राप्त हुई तथा वादीया ही काबिज चली आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि अविवाहित है जिसकी देखभाल व दवा पानी वादीया ही करती आ रही है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 121/108 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/11 हिस्सा दर्ज़ राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो कि घीसाराम पुत्र पुरखाराम के स्वर्गवास के बाद विरास्तन प्राप्त हुई भूमि है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 121/108 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/11 हिस्सा भूमि वादीया को प्राप्त हुई तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया ही काबिज चली आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि अविवाहित है जिसकी देखभाल व दवा पानी वादीया ही करती आ रही है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के खाता संख्या 121／108 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से 1／11 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं वादीया का नाम पूर्व में दर्ज भूमि में रोशनी पुत्री कालुराम उर्फ रामकुमार के स्थान पर रोशनी पत्नी कालुराम उर्फ रामकुमार के संशोधन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500／— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1177 / 2024
अनवान : –

1. रोशनी पत्नी कालुराम उर्फ रामकुमार जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. झण्डुराम पुत्र घीसाराम जाति नायक निवासी मलेका तहसील व जिला सिरसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1177 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 121/108 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से 1/11 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं वादीया का नाम पूर्व में दर्ज भूमि में रोशनी पुत्री कालुराम उर्फ रामकुमार के स्थान पर रोशनी पत्नी कालुराम उर्फ रामकुमार के संशोधन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested